दिनांक	कार्यवाही
14.X.20	आज पीठासीन अधिकारी ...... राजस्व मण्डल अजमेर के परिपत्र Covid-19 के [illegible] ...... 29.X.20 को पेश हो [signature]
29.X.20	पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। आज साहब ...... R.O मिटिंग में पधारे हैं। अतः पत्रावली स्थगित होकर दिनांक ...... 26.11.20 को पेश हो [signature]
26.11.20	पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। आज साहब ...... अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली स्थगित होकर दिनांक ...... 10.12.20 को पेश हो [signature]
10.12.20	पत्रावली पेश, वकुलाय उपखण्ड पत्रावली तहसील से जांच रिपोर्ट इंतजार में दिनांक 7.1.21 को पेश हो। [signature] सहायक कर्मचारी शिवगंज ([illegible])
7.1.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पत्रांक/राजस्व/4891 दिनांक 11.12.20 द्वारा जांच रिपोर्ट पेश न करने बाबत पेश किया तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में ख.नं. 1170 खातेदारी भूमि में से 0-07 बीघा भूमि का समर्पण रास्ता हेतु किया था जरिये आदेश क्रमांक 4442 दि. 16.5.19 से न बदलने ख.नं. 1170/1 उक्त 0-07 बीघा किस्म रास्ता किस्म दर्ज हो चुका है प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर की भूमि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 67/2018 अजयराम बनाम ओखाराम वगैरह (5) में रास्ता भूमि हेतु समर्पण की थी, लेकिन उक्त प्रकरण में रेस्पोंडेंट सं. 1 ओखाराम द्वारा प्रकरण सं. 67/18 के पारित निर्णय दिनांक 20.6.19 की पालना नहीं किये तथा रेस्पोंडेंट 2-7 अप्रार्थी अधिवक्ता ने रिव्यू आवेदन पेश कर पुनः सुनवाई का अवसर चाहने से प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] बाद सुनवाई पर तहसीलदार - शिवगंज की R[illegible] अनुसार आदेश पारित किया गया। जिसकी [illegible] माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधि. पाली [illegible] सं 10/20 दर्ज होकर अपील में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश 4.9.20 को अपास्त कर दिनांक 20.6.19 के आदेश को यथावत रखा गया है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रकरण सं. 67/18 अजयराम वगैरह ओखाराम व अन्य में चाही गयी रास्ता भूमि समान होना संभावित होने से — Next 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.02.18 15:45:58 IST
Reason: SelfAttested

पेज क्र. 2

7.1.2021 प्रार्थी धनाराम के खेत में जाने हेतु अप्रार्थी ओखाराम के खेत ख.सं. 1165/2 वर्तमान में रास्ते के रूप में दर्ज है, एवं राजस्व अपील अधिकारी पाली के द्वारा इसे यथावत रखा गया है ऐसी स्थिति में अ.रा. रास्ता दिया जाना उचित नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कालिक खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है

यदि पूर्व में पुनः रास्ता ख.संख्या 1165/2 अपीलीय न्यायालय के द्वारा निरस्त किया जाता है तब प्रार्थी के आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं रहता है तो प्रार्थी भविष्य में उक्त प्रार्थनापत्र पुनः प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है।

पत्रावली फैसल शुमार (होकर [illegible] हो)

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.02.18 15:45:58 IST
Reason: SelfAttested